

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
312/2023

दायर दिनांक

04.09.2023

उनवान

निर्णय दिनांक

30.01.2024

1. छोटुलाल पुत्र हिरा लाल कोली, उम्र वयस्क निवासी देवनारायण मन्दिर के पास, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. पुरण मल पुत्र हिरा लाल कोली, उम्र वयस्क निवासी देवनारायण मन्दिर के पास, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. किशन लाल पुत्र नारूलाल कोली, उम्र वयस्क निवासी देवनारायण मन्दिर के पास, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. पुष्पेन्द पुत्र नारूलाल कोली, उम्र वयस्क निवासी देवनारायण मन्दिर के पास, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. भगवती पुत्री नारूलाल कोली, उम्र वयस्क निवासी देवनारायण मन्दिर के पास, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. मुरलीधर पुत्र नारूलाल कोली, उम्र वयस्क निवासी देवनारायण मन्दिर के पास, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाड़ा
7. महावरी पुत्र नारूलाल कोली, उम्र वयस्क निवासी देवनारायण मन्दिर के पास, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाड़ा
8. योगेन्द कुमार पुत्र नारूलाल कोली, उम्र वयस्क निवासी देवनारायण मन्दिर के पास, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाड़ा
9. विमला पत्नी नारूलाल कोली, उम्र वयस्क निवासी देवनारायण मन्दिर के पास, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थीगण

बनाम

- पुष्पालाल पुत्र लक्ष्मीचन्द कोली उम्र वयस्क निवासी देवनारायण मन्दिर के पास, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाड़ा
- रामदयाल पुत्र लक्ष्मीचन्द कोली उम्र वयस्क निवासी देवनारायण मन्दिर के पास, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाड़ा
- मुकेश पुत्र ललित अग्रवाल उम्र वयस्क, निवासी शहीद चौक, सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा
- मगना पुत्र पन्ना जाट, उम्र वयस्क, निवासी सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
- महेरू पुत्र पन्ना जाट, उम्र वयस्क, निवासी सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
- हिरा पुत्र पन्ना जाट, उम्र वयस्क, निवासी सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

7. धन्नी पुत्री नन्दराम कोली, उम्र वयस्क, निवासी कोली मौहल्ला दादा बाड़ी, वार्ड नम्बर 52, तहसील व जिला भीलवाडा
8. यशोदा पत्नी स्व. नोरतमल कोली, उम्र वयस्क, निवासी कोली मौहल्ला दादा बाड़ी, वार्ड नम्बर 52, तहसील व जिला भीलवाडा
9. निरमा पुत्री स्व. नोरतमल कोली, नाबालिग जरिये संरक्षक माता यशोदा देवी कोली पत्नी स्व. नोरतमल कोली उम्र वयस्क, निवासी कोली मौहल्ला दादा बाड़ी, वार्ड नम्बर 52, तहसील व जिला भीलवाडा
10. पुखराज पुत्र गिरधारीलाल उम्र वयस्क, निवासी कोली मौहल्ला दादा बाड़ी, वार्ड नम्बर 52, तहसील व जिला भीलवाडा
11. मीरा पुत्री मोहन लाल कोली उम्र वयस्क, निवासी कोली मौहल्ला दादा बाड़ी, वार्ड नम्बर 52, तहसील व जिला भीलवाडा
12. सीना पुत्री बद्रीचन्द कोली नाबालिग, जरिये संरक्षक माता श्रीमती विद्यादेवी कोली पत्नी बद्रीचन्द कोली, उम्र वयस्क, निवासी कोली मौहल्ला दादा बाड़ी, वार्ड नम्बर 52, तहसील व जिला भीलवाडा
13. संजू पुत्री बद्रीचन्द कोली नाबालिग, जरिये संरक्षक माता श्रीमती विद्यादेवी कोली पत्नी बद्रीचन्द कोली, उम्र वयस्क, निवासी कोली मौहल्ला दादा बाड़ी, वार्ड नम्बर 52, तहसील व जिला भीलवाडा
14. गणु बडगुजर पत्नी संजय कुमार खटीक, उम्र वयस्क, निवासी पथवारी के पीछे, सांगानेरी गेट, तहसील व जिला भीलवाडा
15. कंचन पत्नी ज्ञानमल खटीक उम्र वयस्क, निवासी बाबा रामदेव मन्दिर के सामने, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाडा
16. कमलेश पुत्र ओम प्रकाश खटीक उम्र वयस्क, निवासी बाबा रामदेव मन्दिर के सामने, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाडा
17. कमला पत्नी ओम प्रकाश खटीक उम्र वयस्क, निवासी बाबा रामदेव मन्दिर के सामने, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाडा
18. प्रियका पुत्री ओम प्रकाशखटीक उम्र वयस्क, निवासी बाबा रामदेव मन्दिर के सामने, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाडा
19. यशोदा पुत्री ओम प्रकाश खटीक उम्र वयस्क, निवासी बाबा रामदेव मन्दिर के सामने, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाडा
20. राधा पुत्री ओम प्रकाश खटीक उम्र वयस्क, निवासी बाबा रामदेव मन्दिर के सामने, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाडा
21. राजेश पुत्र ओम प्रकाशखटीक उम्र वयस्क, निवासी बाबा रामदेव मन्दिर के सामने, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाडा
22. संजय पुत्र ओम प्रकाश खटीक उम्र वयस्क, निवासी बाबा रामदेव मन्दिर के सामने, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाडा


 श्यामसुन्दर अधिकारी
 भीलवाडा

23. संतोके पुत्री ओम प्रकाश खटीक उम्र वयस्क, निवासी बाबा रामदेव मन्दिर के सामने, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाडा
24. जमनेश पुत्र हाबु खटीक उम्र वयस्क, निवासी बाबा रामदेव मन्दिर के सामने, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाडा
25. बालचन्द पुत्र हाबु खटीक उम्र वयस्क, निवासी बाबा रामदेव मन्दिर के सामने, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाडा
26. रूपलाल पुत्र हाबु खटीक उम्र वयस्क, निवासी बाबा रामदेव मन्दिर के सामने, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाडा
27. हिरालाल पुत्र हाबु खटीक उम्र वयस्क, निवासी बाबा रामदेव मन्दिर के सामने, कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाडा
- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाडा

-विपक्षीगण

स्थित-अधिवक्ता प्रार्थी भानु प्रकाश कोली
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 27 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही

∴ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सुवाणा प0ह0 सुवाणा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की नदी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 1628 की अभिलिखित आराजियात 3050/1, 4/466 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3794 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।


इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 27 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 27 के कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया प्रार्थी को वास्ते आदेश नियत किया गया।


डिस्ट्रिक्ट अधिकारी
भीलवाडा

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात और बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि जेजा सुवाणा प०ह० सुवाणा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 1628 की अभिलिखित आराजियात 3050/1, 441/466 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3794 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आव्हान निवृत्ति सोमनाथ)
जयपुर उच्च न्यायालय
भीलवाडा